उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–9
संख्या–530/दो–9–2018–17(1)/2018
लखनऊ : दिनांक : 16 फरवरी, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

श्री उमेश कुमार मंगला, पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक 09.01.2018 एवं जिलाधिकारी रामपुर के पत्र दिनांक 17.01.2018 एवं दिनांक 08.02.2018 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निर्वाह निधि (उ0प्र0) नियमावली 1985 के नियम–16(1)(क)(बी) सपठित नियम–17(1)(क) के अधीन उनके सामान्य जी0पी0एफ0 खाता संख्या–जी0ए0यू0/84106 से पुत्री के विवाह में व्यय वहन हेतु रू0–14,00,000/–(रूपये चौदह लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।

(2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।

(3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या–530(1)/दो–9–2018, तद्‌दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

पंजीकृत– 1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, निधि–24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– सम्परीक्षा अधिकारी–कास (VIII) फण्ड महालेखाकार कार्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– जिलाधिकारी रामपुर।
4– मुख्य कोषाधिकारी रामपुर।
5– श्री उमेश कुमार मंगला, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रामपुर।
6– नियुक्ति अनुभाग–7/गार्ड बुक की प्रति/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।

GPF-IAS/PCS Fina
l